FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
परमजीतसिंह पुत्र पालसिंह निवासी मेहन्दपुर तहसील बालाचुरा जिला शहिद भगतसिंह नगर, पंजाब बहैसियत मुख्त्यार अमरजीतसिंह पुत्र कश्मीरसिंह निवासी महमददोवल खुर्द तहसील गढ़शंकर एस.बी.एस.पी ओल्ड नं. एच.पी. 729674		राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 61 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.08.22	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 203/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन ट्रक नं0 पी.बी.07 बी.जी.3785 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी पेशी पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
24 8/22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश फुलफगर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार सेयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी–07 बीजी–3785 का रजिस्टर्ड मालिक अमरजीतसिंह है प्रार्थी उसका मुख्त्यार है अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। वाहन के दस्तावेजात वाहन के अन्दर ही है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी के वाहन को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2021 पुलिस थाना सदर नागौर जुर्म धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 प्रकरण में गलत तौर पर पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा जब्त किया गया है। वाहन के अभाव में प्रार्थी को भारी असुविधा व आर्थिक क्षति हो रही है। दौराने मुकदमा प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर वाहन पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेगा। प्रार्थी मालिक न्यायालय	मुख्य उप अपराध संख्या [illegible] दिनांक 19.8.22 25.8.22

कलेक्टर, नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/8/22 (लगातार)	हाजा के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय दस्तावेजात प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी–07 बीजी–3785 के मालिक एवं वाहन चालक से अनुसंधान किया जाना शेष होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली एवं पुलिस अनुसंधान पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.08.2022 में अंकित किया है कि प्रकरण गम्भीर प्रवृति का है। उक्त ट्रक नम्बर पीबी 07 बीजी 3785 को छोड़ा जाना उचित नहीं है। प्रकरण में वाहन मालिक से व वाहन चालक से अनुसंधान किया जाना शेष है। इस प्रकार चूँकि प्रकरण में अभी वाहन मालिक एवं वाहन चालक से अनुसंधान किया जाना शेष होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्रं.सं. खारिज किया जाता है। प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली संबंधित को लौटाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर,नागौर **कलक्टर,नागौर**	